भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1989

जिसका उत्तर 20.12.2023 को दिया जाना है

निर्माणाधीन सुरंगों में सुरक्षा उपाय

1989. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के दिशा-निर्देशों में 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंगों के लिए आपातकालीन निकास की सिफारिश की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तराखंड में हाल ही में ध्वस्त हुई सिलक्यारा सुरंग में आपातकालीन निकास की व्यवस्था की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में चल रही सुरंग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं में आपातकालीन निकास द्वारों सहित अपनाए जा रहे अन्य सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सुरंग ढहने के कारण फंसे कामगारों के पुनर्वास और सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी, नहीं। आईआरसी:एसपी:91-2019 (सड़क सुरंगों के लिए दिशानिर्देश) के अनुसार भूमि की उपलब्धता, यातायात की मात्रा, सुरंग की लंबाई और अतिरिक्त लागत जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, डिजाइन चरण में यातायात सुरंगों के निकट अलग सर्विस सुरंग पर विचार किया जा सकता है। सुरंग को बंद किए बगैर रखरखाव के लिए इस अतिरिक्त सुरंग से पहुंच उपलब्ध होती है। इस सर्विस सुरंग का उपयोग आपात स्थिति के दौरान बाहर निकलने के मार्ग के रूप में किया जा सकता है।

(ख) धरासू-यमुनोत्री राजमार्ग (रारा-134) पर सिल्क्यारा द्वि-दिशात्मक सुरंग में, वाहन क्रॉसओवर के लिए 565 मीटर के औसत अंतराल पर निकास द्वार के साथ-साथ कैरिजवे के बीच में सेपरेशन वॉल और आपातकालीन स्थिति के दौरान बाहर निकलने के उद्देश्य से 300 मीटर के औसत अंतराल पर पैदल यात्री क्रॉस मार्ग का प्रावधान किया गया है।

(ग) वर्तमान में, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) पर 34 सुरंग परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें से 26 सुरंग परियोजनाएं हिमालयी क्षेत्र में हैं। सभी परियोजनाओं को सुरक्षा पर सर्वोपरि ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया गया है। इन परियोजनाओं को साइट-विशिष्ट आवश्यकताओं, स्थापित कोडों के अनुसार

कार्यान्वित किया जाता है, जिनमें आपात स्थिति के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय जैसे बाहर निकलने के लिए सुरंगें, क्रॉस मार्ग के साथ ट्विन ट्यूब, आपातकालीन निकासी के साथ सेपरेशन वॉल, ले-बाय, आग का स्वत: पता लगाने और दमन प्रणाली आदि शामिल होते हैं।

(घ) फंसे हुए श्रमिकों को चिकित्सीय सहायता दी गई और उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा था। निष्पादन एजेंसी द्वारा एक माह का सवैतनिक अवकाश देने के अलावा वित्तीय सहायता के रूप में प्रत्येक श्रमिक को 2.00 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। उपरोक्त के अलावा, उत्तराखंड सरकार ने सभी भी फंसे हुए प्रत्येक श्रमिक को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
